

## प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 24.01.2023

थानाक्षेत्र कोहड़ौर के ग्राम लौली पख्ता खाम के एक घर में लूट की नीयत से घुसे आरोपीगणों द्वारा एक महिला के सिर पर धारदार हथियार से गम्भीर चोट कारित करने के फलस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाने संबंधी प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद (थाना कोहड़ौर)

आज दिनांक 24.01.2023 की रात्रि में थाना कोहड़ौर के ग्राम लौली पोख्ताखाम गांव में लूट करने की नीयत से घर में घुसे बदमाशों द्वारा एक महिला के सिर में धारदार हथियार से प्रहार कर घायल कर दिया गया एवं उपचार दौरान महिला की मृत्यु हो गई। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोहड़ौर में मु0अ0सं0 14/2023 धारा 460 भादवि बनाम 02 व्यक्ति नामजद व 02 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर संबंधित को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री अजीत कुमार शुक्ला थाना कोहड़ौर मय टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 01- मनिराज यादव 02- मनीष राज यादव पुत्रगण गंगाराम निवासी ग्राम लौली पोख्ताखाम थाना कोहड़ौर जनपद प्रतापगढ़ को बहदग्राम लौली पोख्ताखाम के नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल कुल्हाड़ी को बरामद किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मनिराज यादव पुत्र गंगाराम नि0 ग्राम लौली पोख्ताखाम थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।
02. मनीष राज यादव पुत्र गंगाराम यादव नि0 ग्राम लौली पोख्ताखाम थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री अजीत कुमार शुक्ला मय हमराह थाना कोहड़ौर, जनपद प्रतापगढ़।

### वध हेतु ले जाये जा रहे 03 राशि गोवंश व 01 डीसीएम वाहन बरामद ( थाना हथिगवां)

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 24.01.2023 की रात्रि में थाना हथिगवां से उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र कुमार व उ0नि0 श्री रोहित कुमार मय हमराह द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर चेकिंग के दौरान थानाक्षेत्र के पंडित का पुरवा दरियापुर के पास से एक डीसीएम नं0 यूपी 66 ई 9594 पर वध हेतु ले जाने के लिये लादे गये 03 राशि गोवंश जो कि क्रूरतापूर्वक रस्सी से बंधे हुए, को बरामद किया गया, पुलिस टीम को देखकर पशुओं को वाहन में लाद रहे कुछ व्यक्ति मौके से भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर फरार हो गये। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 08/23 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम 05 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### बरामदगी-

01. 03 राशि गोवंश।

02. एक डीसीएम नं० यूपी 66 ई 9594।

**पुलिस टीम-** उ०नि० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार व उ०नि० श्री रोहित कुमार मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

**गोवध निवारण अधिनियम के अभियोग में 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना नवाबगंज)**

थाना नवाबगंज के उ०नि० श्री दीपक कुमार मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 08/22 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित अभियुक्त भुल्ला उर्फ निसार कसाई पुत्र सज्जाद उर्फ ननकऊ नि० परियावां जनपद प्रतापगढ़ को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया।